

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क० 70/2011 अ०फ०

संस्थिति दिनांक 08.02.2011

सुरेन्द्र सिंह पुत्र अहिवरन सिंह गुर्जर आयु 45
वर्ष, व्यवसाय ड्राइवरी, निवासी दंदरौआ पुलिस
थाना मेहगांव जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलार्थी/आरोपी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी गोहद चौक
जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रतिअपीलार्थी/अभियोजन

अपीलार्थी द्वारा श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता
प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी०

// निर्णय //

(आज दिनांक 30/06/2015 को घोषित किया गया)

01- अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 479/2004 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा वि० सुरेन्द्र सिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 25.01.2011 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को धारा 279, 338 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुए क्रमशः तीन माह एवं एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपए एवं 700/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने एवं अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में क्रमशः बीस दिन व एक माह का साधारण कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02- अपील की सुनवाई के दौरान घटना के आहत राधेश्याम के द्वारा न्यायालय में

उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र राजीनामे की अनुमति बाबत अन्तर्गत धारा 320 (2) जा०फौ० तथा समझौता पत्र पेश किया। आरोपी को धारा 279, 337, 338 भा०दं०वि० के अन्तर्गत दोष सिद्ध ठहराया गया है जो कि वर्तमान आवेदन/आहत सुरेन्द्र सिंह के संबंध में धारा 338 भा०दं०वि० का अपराध राजीनामा योग्य है जिसमें कि उसने आरोपी के साथ स्वेच्छा राजीनामा करना व्यक्त किया है। उक्त आहत फरियादी को आरोपी के साथ राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आरोपी एवं आहत राधेश्याम के द्वारा उपस्थित राजीनामापत्र पर विचार किया गया, विचारोपरांत जबकि धारा 338 भा०दं०वि० के संबंध में उक्त आहत के साथ राजीनामा करने की अनुमति पूर्व में दी जा चुकी है, राजीनामा स्वीकार करते हुए आरोपी सुरेन्द्र को धारा 338 भा०दं०वि० के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। आरोपी/अपीलार्थी की वर्तमान अपील शेष प्रकरण के संबंध में जारी रहेगी।

03— अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 05.08.2014 को 15:30 बजे स्थान भिण्ड ग्वालियर रोड बंजारे का पुरा उपस्थिति फरियादी द्वारा रिपोर्ट की कि वह टेंकर क्रमांक एम.पी. 04 के. 1924 को चलाता है और उसमें रायरू से डीजल भरकर भिण्ड ले जा रहा था कि गोहद चौराहा के आगे ग्राम बंजारे के पुरा पहुँचा कि सामने से नीले रंग का डम्पर नम्बर एम.पी. 07 जी. 5098 का तेजी और लापरवाही से चलाकर लाया और उसके टेंकर में सामने से टक्कर मार दी जिससे टेंकर का सामने का हिस्सा पिचक तथा वह उसमें फस गया और उसका दाहिना पेर टूट गया और शरीर में अन्य जगह चोटें आईं। वह शराब पिए हुए था और भाग गया। उक्त रिपोर्ट देहाती नालसी 0/04 पर लेखबद्ध की गई। जिस पर थाना गोहद चौराहे में असल अपराध क्रमांक 105/14 धारा 279, 337 का कायम किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। फरियादी का मेडीकल परीक्षण एवं एक्स-रे कराया गया, एक्सरे में अस्थिभंग पाये जाने से धारा 338 भा०दं०वि० का इजाफा किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की गई, डम्पर एवं टेंकर की जप्ती की गई एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

04— अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 279, 337, 338 भा०दं०वि० के संबंध में अपराध की विशिष्टियाँ तैयार कर उसे पढ़कर सुनाई समझाई गई आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05— अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 25.01.2011 को प्रश्नाधीन निर्णय

पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया ।

06— अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 91 जा0फौ0 उसे घटना में आई हुई चोटों के उपचार के संबंध में जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती रहा था जिसका भर्ती सर्टीफिकेट, डिस्चार्ज टिकिट पी.एस. गोहद से मंगाने बावत् पेश किया था जिसका निराकरण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं बिसंगतियाँ आई हैं। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने एवं आवेदन दिनांक 04.01.06 के निराकरण के लिए प्रत्यावर्तित किये जाने का निवेदन किया है।

07— राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

08— अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 25.01.2011 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::— निष्कर्ष के आधार—::

09— डॉ० राजेन्द्रप्रसाद अ0सा0 3 के द्वारा दिनांक 05.08.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उक्त दिनांक को आहत राधेश्याम गौंड पुत्र पन्ना निवासी नेहरू पेट्रोलपम्प का चिकित्सीय परीक्षण किया था जिसे कि परीक्षण के दौरान निम्न चोटें पाई गई— एक कुचला हुआ घाँव सीधे पेर की काफ मसल पर था तथा उसी पेर में विकृती थी जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी थी एवं एक कुचला हुआ ६

गॉव सिर के सामने की तरफ था। अभिमत में उनके बताया गया है कि आहत को आई हुई चोट भौतरी वस्तु से आना संभव थी जो कि 12 घण्टे के अंदर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिस पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी के द्वारा उक्त दिनांक को ही आहत महेश श्रीवास्तव का मेडीकल परीक्षण किया था जिसे दाहिनी कोहनी पर छिला हुआ घाँव था एवं एक कुचला हुआ घाँव सिर के सामने की तरफ जिसका था। उक्त आहत को भी भौतरी वस्तु से चोट आना अपने अभिमत में बताया है। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत राधेश्याम का एक्सरे परीक्षण किया था जिसमें उसे दाहिने पेर की टीविया एवं फिवूला हड्डी टूटी हुई थी जिस संबंध में एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 7 है एवं उसी दिनांक को आहत महेश श्रीवास्तव का एक्सरे परीक्षण किया था जिसमें उसे कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था जिस संबंध में एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिनके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

10— घटना के संबंध में घटना के आहत/फरियादी राधेश्याम गौंड ने अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना दिनांक 05.08.2004 को जब वह अपने टेंकर जिसमें कि डीजल भरकर गोहद चौराहे के आगे बंजारे के पुरा पहुँचा तो सामने से डम्फर क्रमांक एम.पी. 07 जी 5098 का ड्राइवर सुरेन्द्रसिंह गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके टेंकर जो कि धीमी गति से चल रहा था उसमें सामने के हिस्से में टक्कर मार दी जिसमें उसका दाहिना पेर टूट गया। उसके क्लीनर महेश श्रीवास्तव को भी चोटें आई थी। घटनास्थल पर पुलिस आ गई थी और उसने रिपोर्ट प्र.पी. 1 की लिखाई थी, नक्शामौका प्र.पी. 2 का पुलिस ने बनाया था तथा टेंकर की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 और डम्फर की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 बनाया था।

11— इस प्रकार घटना के फरियादी/आहत के कथन में स्पष्ट रूप से घटना दिनांक को दिनांक को आरोपी के द्वारा डम्फर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए दुर्घटना कारित करने के संबंध में और इस दुर्घटना के कारण उसे अस्थिभंग होकर गंभीर चोट आना और उसके क्लीनर महेश श्रीवास्तव को भी चोटें आना बताई गई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से पूछे जाने पर यह स्वीकार किया है कि घटना के बाद गांव वालों ने और ड्राइवरों ने उसे निकालकर नीचे बैठाकर और पुलिस थाना गोहद चौराहा की पुलिस वहाँ आ गई थी। इस संबंध में यह उल्लेनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि देहातीनालसी के रूप में घटनास्थल पर ही लेख की गई है वह घटना के आधे घण्टे के भीतर लिखी है, उसमें स्पष्ट रूप से डम्फर क्रमांक एम.पी. 07जी. 5098 के चालक के द्वारा तेजी और लापरवाही से

वाहन को चलाते हुए दुर्घटना कारित करने के संबंध में उल्लेख आया है। फरियादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से हाजिर अदालत आरोपी सुरेन्द्र की पहिचान की गई है जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। यद्यपि साक्षी ने घटना में सुरेन्द्र के चोटें आने की बात को स्वीकार किया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि यदि घटना में उसे कोई चोट आई थी तो घटना को प्रतिकूलित मानने का कोई आधार नहीं हो सकता। फरियादी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभाष, बिसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है, जिससे कि उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। उक्त साक्षी घटना का आहत भी है और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 भी उसके द्वारा प्रमाणित की गई है।

12— घटना के अन्य आहत एवं अभियोजन साक्षी महेश श्रीवास्तव के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना दिनांक को घटना दुर्घटना घटित होना जो कि नीले रंग के डम्पर के चालक के द्वारा डम्पर लहराते हुए और तेज गति से चलाकर टेंकर जिसमें कि वह क्लीनर था उसमें टक्कर मार देना जिससे कि ड्राइवर का पेर टूट जाना और उसे भी चोटें आना और उसका वेहोश हो जाना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी स्पष्ट है कि प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। यद्यपि उक्त साक्षी के द्वारा डम्पर के चालक आरोपी की कोई पहिचान नहीं की गई है जो कि साक्षी के अनुसार घटना के पश्चात् वह वेहोश हो गया था। ऐसी दशा में चालक की कोई पहिचान नहीं की जा सकी है तो वह स्वभाविक है।

13— घटना में आहत/फरियादी राधेश्याम गौंड को चोट आकर अस्थिभंग होना तथा अन्य साक्षी महेश को भी चोट आकर उपहति कारित होने की पुष्टि चिकित्सक साक्षी डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद अ0सा0 3 के कथन से भी होती है।

14— बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी का कथन नहीं कराया गया है। डम्पर के चालक की कोई पहिचान नहीं हो सकी है। जहाँ तक बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उपरोक्त आधार का प्रश्न है। घटना जो कि फरियादी राधेश्याम गौंड अ0सा0 1 तथा आहत महेश श्रीवास्तव अ0सा0 2 दोनों के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है जिनके प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। घटनास्थल पर किसी स्वतंत्र साक्षी की मौजूदगी अथवा उसके द्वारा कथन किये जाने पर भी प्रकरण की पुष्टि होना माना जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्षियों की संख्या पर विचार न

कर साक्षी की गुणवक्ता पर विचार किया जाता है और यदि एक मात्र साक्षी का कथन भी विश्वास योग्य पाया जाता है तो उस पर विश्वास करते हुए दोषसिद्ध ठहराई जा सकती है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

15— तदनुसार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा डम्फर क्रमांक एम.पी. 07 जी. 5098 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न किया और उक्त प्रकार से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की गई। आहत महेश श्रीवास्तव की इस दौरान चोट पहुँचाकर उपहति कारित की। इस संबंध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराये जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक या तथ्यात्मक भूल की जानी दर्शित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसके समक्ष आई हुई साक्ष्य पर उचित रूप से विचार करते हुए और इस संबंध में विचार करते हुए उचित रूप से निष्कर्ष निकालते हुए प्रश्नाधीन निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध आदेश में हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार नहीं है। यद्यपि आरोपी को आहत राधेश्याम के संबंध में धारा 338 भा0दं0वि0 के संबंध में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है, किन्तु आरोपी को धारा 279 भा0दं0वि0 एवं 337 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत ठहराई गई दोषसिद्ध स्थिर रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का दोषसिद्धी आदेश दिनांक 25/01/11 की पुष्टि की जाती है।

16— जहाँ तक दण्ड का प्रश्न है आरोपी को आहत/फरियादी राधेश्याम के संबंध में धारा 338 भा0दं0वि0 के संबंध में राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है। आरोपी के विरुद्ध धारा 279, 337 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्धी स्थिर रखी गई है। उक्त आरोपी के दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यूनतम दण्ड अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया गया है।

17— उपरोक्त संबंध में विचार किया, प्रकरण जो कि सन् 2004 से न्यायालय में चल रहा है और आरोपी उसमें लगातार उपस्थित होता चला आ रहा है। घटना के फरियादी एवं आरोपी के मध्य में राजीनामा भी हो चुका है। विचारोपरांत प्रकरण के लंबनकाल तथा तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं धारा 71 भा0दं0वि0 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए धारा 279 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अधिरोपित 03 माह के सश्रम कारावास की सजा समाप्त की जाती है। आरोपी पर धारा 279 भा0दं0वि0 अधिरोपित अर्थदण्ड रु.500/- के स्थान पर अर्थदण्ड की राशि रु.1000/- की जाती है। आरोपी के द्वारा जमा कराई गई पूर्व की अर्थदण्ड राशि

उक्त राशि में समायोजित की जावेगी। चूकी आरोपी को आहत राधेश्याम के संबंध में धारा 338 भा०दं०वि० के संबंध में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया है। ऐसी दशा में अतिशेष अर्थदण्ड की राशि फरियादी को वापस की जाये।

18— तदनुसार अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपील का निराकरण किया जाता है।

19— जब्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश यथावत रखा जाता है।

20— मूल प्रकरण आदेश की प्रति सहित अधिनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

सही/—
(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सही/—
(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड